हुक्म

8/10/18 पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी की ओर से पूर्व पेशी पर अपना जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया आज ही हल्का पटवारी व मि. अ. नि. खाकड़ी के कुर्की के सिलसिले कार्य वाही हेतु निर्देश दिये गये उनके द्वारा मौके पर खड़ी फसल को कटे होने के पश्चात खड़ी फसल को कुर्की करने बाबत मौके पर फसल नहीं मिली जिसके अभाव में कुर्की कार्यवाही नहीं हो सकी साथ ही मौके पर मौजूदा है जो कुर्की कार्य किया गया है।

अब आदेश किया जाता है कि अप्रार्थी की उक्त भूमि पर पाबंदी लगाकर अप्रार्थी को पाबन्द किया जाकर अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि पर आईन्दा किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे तथा उक्त भूमि का वार्षिक लगानकी पचास गुणा राशि 201 रुपये बीस रुपया मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है जो वसूल हो।

तहसील राजस्व लेखाकार को वसूल मात्र कार्यवाही हल्का पटवारी/मि. अ. नि. को वसूली रिपोर्ट दरखास्त है। लिखा जावे। नियत दिनांक 8/10/18 को रसूल न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली इंद्रराज

तहसीलदार, ओसियां
जिला - जोधपुर

201/-
नकल 201/- ... 123
नकल 201/- ... मान कार्यालय की नकल है
नकल 201/- 8/10/18
(पठाई) - 24/08/18